रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072022-237244
CG-DL-E-12072022-237244

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]	नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2022/आषाढ़ 20, 1944
No. 173]	NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2022/ASHADHA 20, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2022

(स्वदेशी रूप से उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रणमुक्त करना)

फा. सं. अन्वेषण-15019(25)/161/2019-ओएनजी-डी-V(ई-34367).—भारत सरकार ने कारोबार में आसानी तथा प्रचालकों/उद्योग को और अधिक आज़ादी प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए समान अवसर उपलब्ध करवाने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और तेल तथा गैस की पूरी मूल्य श्रृंखला में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वदेशी रूप से उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री नियंत्रणमुक्त करने को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार:

1. भारत सरकार दिनांक 01.10.2022 से कच्चे तेल और कंडेनसेट का आबंटन बंद कर देगी।
2. यदि किसी उत्पादन हिस्सेदारी संविदा में ऐसी कोई शर्त उल्लिखित है तो उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) में कच्चे तेल की बिक्री सरकार अथवा सरकारी नामिती अथवा सरकारी कंपनियों को करने की शर्त हटा दी जाएगी और तदनुसार संविदा को संशोधित माना जाएगा।
3. जब तक संविदा में कोई अन्य प्रावधान नहीं किया गया हो, तब तक रायल्टी, उप कर, अन्य सांविधिक उगाहियों और संविदागत भुगतानों जैसे पेट्रोलियम लाभ, राजस्व हिस्सा आदि का मूल्यांकन वास्तविक बिक्री मूल्य अथवा सरकार द्वारा नामित एजेंसी द्वारा मासिक आधार पर यथा-परिकलित कच्चे तेल की भारतीय बास्केट के मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जाएगा।
4. घरेलू कच्चे तेल का निर्यात नहीं करने की अनुमति जारी रहेगी।

5. यदि इस मामले के संबंध में कोई और स्पष्टीकरण अथवा व्याख्या अपेक्षित है तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आवश्यक स्पष्टीकरण / व्याख्या जारी करेगा।

सुनील कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2022

(Deregulating sale of domestically produced Crude Oil)

F. No. Expl-15019 (25)/161/2019-ONG-D-V (E-34367).—Government of India has decided to notify deregulation of sale of domestically produced crude oil with the objective of creating a level playing field, promoting competition and incentivizing investment in entire Oil and Gas value chain with a focus on ease of doing business and more freedom to operators/industry. Accordingly:

1. Government of India shall cease allocation of crude oil and condensate with effect from 01.10.2022.
2. The condition in Production Sharing Contracts (PSCs) to sell crude oil to Government or Government Nominee or Government Companies, shall be waived off, if such a condition is mentioned in any PSC and the Contract shall stand amended accordingly.
3. Unless the contract provides otherwise, royalty, cess, other statutory levies and contractual payments such as profit petroleum, revenue share, etc. shall be valued based on the actual sales price or the price of the Indian Basket of crude oil, as calculated by Government nominated Agency on monthly basis, whichever is higher.
4. Exports of domestic crude oil will continue to be not permitted.
5. In case any further clarification or interpretation in respect of this matter is required, Ministry of Petroleum and Natural Gas shall issue such necessary clarification/ interpretation.

SUNIL KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.07.12 11:55:37 +05'30'